I/305350/2023

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2023

विज्ञप्ति/विविध

प्रदेश के नगर निगमों के महापौरो एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन-2023 विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या-206/रा0 नि0 आ0 अनु0-4/न0 नि0/2023 दिनॉक 09-04-2023 द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। इस निर्वाचन हेतु जनपदों में प्रथम चरण का मतदान दिनॉक 04-05-2023 को एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनॉक 11-05-2023 को निम्नानुसार होना नियत है :-

क्र0सं0	चुनाव चरण	मतदान का दिनॉक	जनपद
1	2	3	4
1	प्रथम चरण	04-05-2023 बृहस्पतिवार	शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झॉसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, गोण्डा, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली एवं जौनपुर।
2	द्वितीय चरण	11-05-2023 बृहस्पतिवार	मेरठ, हापुड, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर, बदायू, शाहजहॉपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही एवं मीरजापुर।

2- अतएव नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट-1881 (एक्ट सख्या-26, 1881) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम मे लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-26-56-पब-1 दिनॉक 08-06-1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के अनुक्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के प्रयोजनार्थ उक्त प्रस्तर-1 की तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित मतदान दिवस दिनॉक 04-05-2023 को उसके सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपदों में तथा मतदान दिवस दिनांक 11-05-2023 को उसके सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपदों में राज्यपाल महोदया सार्वजनिक अवकाश घोषित करतीं हैं।

मतदान दिवस दिनांक 04-05-2023 एवं 11-05-2023 को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अपने-अपने जनपद में अवकाश घोषित किया जायेगा।

Signed by जितेन्द्र कुमार
Date: 20-04-2023 16:18:06
Reason: Approved

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

I/305350/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।

5- निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को यथा समय आवश्यक प्रचार/प्रसार कराये।

6- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- विशेष कार्याधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-212/रा0 नि0 आ 0-4/न 0 नि0/39-2023 दिनांक 09-04-2023 के संदर्भ में प्रेषित ।

8- समस्त मण्डलायुक्त।

9- समस्त जिलाधिकारी।

10- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,ऐशबाग प्रेस, उ0प्र0को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति को उ0प्र0के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड(ख) के अन्तर्गत हिन्दी में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

11- नगर विकास अनुभाग-1।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश यादव)

अनु सचिव।

Scanned with CamScanner